132

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3448–दो/14 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 3448–दो/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 30–9–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गंजबासोदा जिला विदिशा के कमशः प्रकरण कमांक 86 एवं 87/अपील/13–14.

निगरानी प्रकरण कमांक 3448–दो/14

1 नर्वदा पुत्र पुन्ना जाति अहिरवार
2 हल्कई पुत्र पुन्ना जाति अहिरवार
निवासीगण ग्राम किरवाया तहसील गंजबासोदा
जिला विदिशा म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 श्रीमति द्रोपतीबाई पुत्री रूक्कोबाई
पत्नि छुटटा अहिरवार निवासी किरवाया
2 मायाबाई पुत्री रूक्कोबाई पत्नि नेनसुख
अहिरवार निवासी ग्राम मदऊखेड़ी तहसील कुरवाई
3 कृष्णाबाई पुत्री रूक्कोबाई पत्नि मूगालाल अहिरवार
निवासी मडी जागीर तहसील कुरवाई जिला विदिशा म0 प्र0
4 दोलतबाई पुत्री रूक्कोबाई पत्नि करणसिंह
जाति अहिरवार निवासी किरवाया तहसील गंजबासौदा
जिला विदिशा

–अनावेदकगण

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 जी0 चिटनिस अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3 एवं 4

निगरानी प्रकरण कमांक 3449–दो/14

छुटटा पुत्र हरचंद जाति अहिरवार
निवासी ग्राम किरवाया तहसील गंजबासोदा जिला विदिशा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 दोलतबाई पुत्री रूक्कोबाई पत्नि करणसिंह
जाति अहिरवार निवासी किरवाया
2 कृष्णाबाई पुत्री रूक्कोबाई पत्नि मुंगालाल अहिरवार
निवासी मडी जागीर तहसील कुरवाई
3 मायाबाई पुत्री रूक्कोबाई पत्नि नेनसुख जाति
अहिरवार निवासी ग्राम मदऊखेड़ी तहसील कुरवाई
4 श्रीमति द्रोपतीबाई पुत्री रूक्कोबाई
पत्नि छुटटा अहिरवार निवासी किरवाया तहसील गंज बासौदा
जिला विदिशा

–अनावेदकगण

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 जी0 चिटनिस अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 एवं 2

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19-12-2016 को पारित)

———

यह निगरानियां अनुविभागीय अधिकारी, गंजबासोदा द्वारा कमंशः प्रकरण कमांक 86 एवं 87/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30–9–14 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में लिखे होने के कारण उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि

तहसीलदार के आदेश की पूर्ण जानकारी अनावेदकों को थी । विचारण न्यायालय ने उन्हें विधिवत तामीली भेजी गई किंतु वे अनुपस्थित रहे । उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील में अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विवादित भूमि उनकी मां रूक्कोबाई के नाम दर्ज थी । आवेदकों द्वारा फर्जी तरीके से वसीयत के आधार पर उनकी भूमि पर नामांतरण कराया गया है । जब अनावेदकों द्वारा ओलापीड़ित होने पर मुआवजा राशि के लिए पटवारी से संपर्क किया तब नामांतरण की जानकारी हुई । जानकारी होने पर उन्होंने तुरंत प्रतिलिप हेतु आवेदन दिया और प्रतिलिपि प्रापत होने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की और धारा 5 का आवेदन पेश किया । अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है । उनके द्वाराा यह भी कहा गया कि यह निगरानी प्रीमैच्युर है आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचि अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता द्वारा 2015 आर0एन0 509 एवं 253 का उल्लेख करते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में जो भूमि है वह अनावेदिकाओं की मां के स्वामित्व की है जिस पर तहसीलदार द्वारा आवेदकों का वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया है । ऐसी स्थिति में उन्हें सुना जाना इस प्रकरण में आवश्यक है । विचारण न्यायालय द्वारा जिस तामीली के आधार पर अनावेदकों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है वह तामीली विधिवत नहीं है क्योंकि उक्त सूचनापत्रों के देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त सूचनापत्र में कांटछांट कर पेशी उिदनांक 17–1–14 के स्थान पर 22–1–14 लिखी गई है । इसके अतिरिक्त उन पर चस्पा से तामीली किस दिनांक को की गई है इसका कोई उल्लेख सूचनापत्र में नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा

अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा जो न्यायदृष्टांत उद्धरित किये गये हैं वे इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह दोनों निगरानियां आधारहीन होने से निरस्त की जाती हैं ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर